निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ 1944 (श0)

(सं0 पटना 368) पटना, बुधवार, 15 जून 2022

गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

अधिसूचना
10 जून 2022

सं० अ0नि0 01–22/2019/स्था0 1376––माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या– 156/2016, महेन्द्र चावला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 05.12.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में आपराधिक मामलों की जाँच, अभियोजन एवं विचारण को निष्पक्ष बनाने के लिए गवाहों को निर्भीक होकर गवाही देने के उद्देश्य से अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–104 दिनांक 13.01.2020 द्वारा ''बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018'' को राज्य में लागू किया गया है।

''बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018'' के कंडिका–04 के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित गवाह सुरक्षा आदेश के कार्यान्वयन के दौरान होने वाले व्यय अथवा तत्संबंधी अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति को वहन करने के लिए ''बिहार गवाह सुरक्षा कोष'' का गठन करने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

सम्यक विचारोपरान्त एतद् द्वारा राज्य सरकार द्वारा ''बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018'' के कंडिका–04 के अधीन ''राज्य गवाह सुरक्षा कोष'' के संचालन, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए ''बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली, 2022'' का निर्माण निम्नवत् किया जाता है:–

बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली, 2022

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः–**
   (क) इस कोष का नाम ''बिहार गवाह सुरक्षा कोष'' होगा;
   (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा;
   (ग) यह नियमावली इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
2. **परिभाषाः–**
   (क) ''गवाह सुरक्षा कोष'' का अर्थ है इस योजना के तहत् सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित गवाह सुरक्षा आदेश के कार्यान्वयन के दौरान किये गये खर्चों को वहन करने के लिए बनाया गया कोष।
   (ख) ''गवाह सुरक्षा आदेश'' का अर्थ है सक्षम प्राधिकार द्वारा गवाह सुरक्षा के संदर्भ में किए जाने वाले उपायों के विवरण से संबंधित पारित आदेश।
   (ग) ''लेखा परीक्षा'' का तात्पर्य है जिला लेखा पदाधिकारी/चाटर्ड एकाउन्टेंट से करायी गयी लेखा परीक्षा।

(घ) ''अंकेक्षण'' से तात्पर्य है महालेखाकर बिहार, पटना से कराया गया अंकेक्षण।

(ड़) अन्य पदों का वही अर्थ होगा जैसा कि बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018'' में विहित है।

3. गठनः–

बिहार गवाह सुरक्षा कोष में राशि का संचयन निम्नवत होगाः–

(i) राज्य सरकार से बजट के माध्यम से प्राप्त सहायक अनुदान;

(ii) न्यायालयों/प्राधिकरणों द्वारा गवाह सुरक्षा कोष में जमा करने के आदेश/अधिरोपित लागतों (Cost) की रकम की प्राप्ति, संगठनों/ व्यक्तियों से प्राप्त दान/योगदान;

(iii) केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा अनुमत लोकोपकारी धर्मार्थ संस्थाओं/ संगठनों/व्यक्तियों से प्राप्त दान/योगदान राशि;

(iv) कॉरपोरेट/सामाजिक दायित्व के अधीन दी गयी निधियाँ।

4. प्रबंधनः–

(i) ''बिहार गवाह सुरक्षा कोष'' अव्यपगत होगा तथा अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग में निहित एवं प्रशासित होगा।

(ii) राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली सहायक अनुदान की राशि का बजट उपबंध बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष–2014 न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल), समूह शीर्ष–स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत उप शीर्ष–0008–गवाह सुरक्षा निधि एवं विपत्र कोड संख्या–22–2014–00–114–0008 विस्तृत शीर्ष–31–सहायक अनुदान, विषय शीर्ष–06–गैर वेतन में किया जायेगा।

(iii) इस कोष के लिए राज्य स्तर पर ''बिहार गवाह सुरक्षा कोष'' के नाम से बैंक में एक खाता खोला जाएगा, जिसमें इस कोष को प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ (बजटीय मद से एवं अन्य स्त्रोतों से) जमा की जायेगी। इस खाता का संचालन निदेशक अभियोजन द्वारा किया जायेगा।

(iv) प्रत्येक जिला में एक जिला स्तरीय कोष होगा। इस हेतु जिला के लिए नामित ''जिला गवाह सुरक्षा कोष'' के नाम से जिला कोष का एक बैंक खाता खोला जायेगा। इसमें राज्य स्तरीय कोष से राशि प्राप्त होगी।

(v) जिलों में इस कोष का खाता सदस्य सचिव, जिला सक्षम प्राधिकार –सह– जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा संचालित किया जायेगा।

5. कोष का उपयोगः–

(क) ''बिहार गवाह सुरक्षा कोष'' का उपयोग ''बिहार गवाह सुरक्षा योजना, 2018'' के तहत् सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित गवाह सुरक्षा आदेश के कार्यान्वयन के दौरान हुए व्यय अथवा तत्संबंधी अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु किया जायेगा। साथ ही योजना के व्यापक प्रचार हेतु भी व्यय किया जायेगा। ''बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018'' के कंडिका–06 (ज) के तहत् गवाह सुरक्षा आदेश का कार्यान्वयन गृह विभाग द्वारा किये जाने पर राज्य स्तरीय कोष से व्यय किया जायेगा।

(ख) आवश्यकतानुसार मामलों में आपातकालीन खर्च हेतु जिला सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन पर सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)/ अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को अग्रिम राशि प्रदान किया जायेगा। जिसका पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)/अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के अधियाचना पर सामंजस्य अभिश्रव प्राप्त होने पर किया जायेगा।

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिनको प्राधिकार द्वारा सुरक्षा दिया जाना प्रस्तावित है, उनके मामलों में सुरक्षा एवं अन्य व्यय का अव्यवय वार प्राक्कलन पुलिस उपाधीक्षक द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसे पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त जिला स्तरीय सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थापित कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(घ) गवाहों की सुरक्षा एवं अन्य व्यय का वार्षिक प्राक्कलन अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा)/पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार से तैयार कराकर अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग, बिहार, पटना को प्रतिवेदित किया जायेगा, जिसके आधार पर सहायक अनुदान के रूप में राशि का बजट उपबंध किया जायेगा। बजट उपबंधित राशि की निकासी अभियोजन निदेशालय द्वारा की जायेगी तथा बिहार गवाह सुरक्षा कोष में अंतरित की जायेगी, जहाँ से सभी जिलों को राशि अंतरित की जायेगी।

(ड़) अन्तर जिला या अन्तर राज्य व्ययों के लिए संबंधित पुलिस अधीक्षक आवश्यक व्यवस्था करेंगे। इसमें प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक एवं आवश्यकता अनुसार अन्तर राज्य मामलों में मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा)/अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा)/पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा)/आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

(च) कुछ मामलों में विभिन्न राज्यों में या बिहार के जिलों में आवश्यक आधारभूत संरचनाएँ विकसित करनी पड़ेगी या उनको भाड़े पर लेना होगा। ऐसे मामलों में इनके प्रबंधन के लिए केन्द्रीयकृत

रूप से मुख्यालय स्तर पर व्यवस्था गृह विभाग के अधीन होगी जिसके अधियाचना पर निदेशक अभियोजन भुगतान करेंगे।

(छ) जिला सक्षम प्राधिकार से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर मुख्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार किया जायेगा।

(ज) इस कोष से राशि प्राप्त करने वाला विभाग/राज्य गवाह सुरक्षा कोषांग/जिला गवाह सुरक्षा कोषांग सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रचलित प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तरदायी होगा।

6. लेखा का संधारण एवं परीक्षणः–

बिहार गवाह सुरक्षा कोष से प्राप्त राशि का लेखा अभियोजन निदेशालय (गृह विभाग), बिहार, पटना एवं जिला स्तरीय गवाह सुरक्षा कोषांग द्वारा बिहार वित्त नियमावली के तहत विहित रीति से संधारित किया जायेगा एवं नियमित रूप से इसकी लेखा परीक्षा करायी जायेगी। प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय समर्पित किया जायेगा। इस कोष का अंकेक्षण महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार द्वारा भी किया जायेगा।

7. परिनियम बनाने की शक्तिः–

उक्त नियमावली के सभी नियमों अथवा किसी नियम के प्रयोजनार्थ परिनियम बनाने की शक्ति सरकार में निहित होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुधांशु कुमार चौबे,
उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 368-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in